न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली

(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 15/2021

जरिये सरकार नरेश कुमार चेजारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम।

–आवेदक

बनाम

1. श्री आयुश बंसल पुत्र श्री उमेश शरण बंसल (मौके पर विकेता एवं नोमिनी) मैसर्स अवधेश मिल्क प्रोडेक्टस प्रा०लि० म.न. 01. वार्ड न. 19, अवधेश मेडिकल के पास कोटपुतली जयपुर।

2. अवधेश मिल्क प्रोडेक्टस प्रा०लि० म.न. 01. वार्ड न. 19, अवधेश मेडिकल के पास कोटपुतली जयपुर।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) / 51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 29/4/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि मैं नरेश कुमार चेजारा दिनांक 06.04.2021 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन /2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियों प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन, स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज, जयपुर के आदेश क्रमांक 1041 दिनांक 31.12.2020 के अनुसार मुझे कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम आवंटित किया गया है और जयपुर प्रथम के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र मेरे कार्य क्षेत्र में आते है। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियों न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

2. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.04.2021 को समय 02.15 पी.एम पर मैसर्सः– अवधेश मिल्क प्रोडेक्टस प्रा०लि० म.न. 01, वार्ड न.–19, अवधेश मेडिकल के पास कोटपुतली जयपुर पर पहुँचा। वहाँ पर श्री आयुश बंसल उपस्थित मिले. श्री आयुश बंसल को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया। जिन्होने ने स्वयं को फर्म का विक्रेता एवं नोमिनी होना जाहिर किया श्री आयुश बंसल ने फर्म के खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, पैन कार्ड, नोमिनी फार्म मय बोर्ड रिजोल्युशन एवं स्वयं के आधार कार्ड की छाया प्रति पेश की उक्त संस्थान का निरक्षण करने पर आम जनता को विक्रय हेतु 500 एमएल के 24 पाउच 02 केरेट में पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) रखा हुआ था। केरेट में रखें पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) को विक्रेता ने स्वयं का होना बताया।
3. यह कि मुझे इस पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) में मिलावट का शक होने पर उसमे से 500 एमएल के 4 पाउच वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता श्री आयुश बंसल को रु 80.00/– नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थिति गवाहन श्री दिनेश गुर्जर तथा श्याम सुंदर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
4. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियों तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान हस्ताक्षर करवा कर, फार्म सं.5ए की एक प्रति विक्रेता श्री आयुश बंसल को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. ए की प्रति न्यायनिर्णायन आवेदन के साथ संलग्न है।
5. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) को प्रत्येक बोतल मे बराबर–बराबर मात्रा मे डाला एवं प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ई–5020 दर्ज किया प्रत्येक लेबल पर स्वंय ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को मय खाली पाउच अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. जयपुर प्रथम की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ई–5020 नियमानुसार चारों नमूना बोतलों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवा कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया।
6. यह है कि मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता आयुश बंसल एवं गवाहों को पढ कर हस्ताक्षर हेतु कहा, इन्होने मौका फर्द रिपोर्ट पढ कर हस्ताक्षर किये, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

7. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य जन विश्लेषक, राज. जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राज, जयपुर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की तीन प्रतियों के आउटर कवर, में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
8. चूंकि पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) के विक्रेता ने नमूने के चौथे भाग को किसी अधिसूचित एनएबीएल प्रयोगशाला से जांच करवाने की कोई मंशा जाहिर नहीं की । अतः सील चपड़ी किए हुए नमूने के चौथे भाग को फार्म नं. 6 की एक प्रति के साथ आउटर कवर पैकेट में सील चपड़ी कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पास जमा करा कर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक एफएसएसए/21/446 दिनांक 22.04.2021 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेशक राज, जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल. एस/593/Act/2021/634 दिनांक 20.04.2021 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया पनीर एफएसएस एक्ट, 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार सबस्टैण्डर्ड पाया गया है। पत्र, जाँच रिर्पोट एवं पत्र डिलिवरी की ऑन लाइन रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह कि एफएसएसए एक्ट 2006 नियम 2011 के नियम 2.4.6 सेक्शन 46 के सब सेक्शन 4 के अन्तर्गत 30 दिवस की अवधी में नमूने की रेफरल लेबोरेट्री में पुन जांच हेतु फार्म–viii मे अपील करने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। श्री आयुश बंसल द्वारा पुनः जांच हेतु फॉर्म viii में अभिहित अधिकारी को अपील नहीं की गयी।
11. श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर–प्रथम ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/21/1124 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है।
12. यह कि उक्त केस मे सबस्टेण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लघंन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 मे निर्धारित है।
13. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्र्डर्ड नोटिस एवं जरिये दूरभाष सूचित किया गया। अप्रार्थी को सूचना

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

होने के बावजूद भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हुआ इसलिए अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया ।

14. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक खाद्य पदार्थ पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में दण्डित किया जावें।

15. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्राथी/अभियुक्त द्वारा सबस्टैण्डर्ड खाद्य पदार्थ पाश्चयुराईज्ड टोड मिल्क (अर्थ) का विक्रय/निर्माण कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुआ। अतः उक्त कृत्य के लिए अप्रार्थी/अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्री आयुश बंसल पुत्र श्री उमेश शरण बंसल (मौके पर विकेता एवं नोमिनी) मैसर्स अवधेश मिल्क प्रोडेक्टस प्रा०लि० म.न. 01. वार्ड न. 19, अवधेश मेडिकल के पास कोटपुतली जयपुर पर 25000/- पच्चीस हजार मात्र ....शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 21.5.24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली